

फर्द अहकाम

(निगम 20)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

छमनलाल पिता रामकरण धाकड नि. सियाणा

बनाम

बदरीलाल पिता गोरू धाकड नि. सियाणा वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं 526 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मग इनिशियल्स अज
12.05.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉब रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सियाणा प. ह. फलाशिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 870/1, 872/2 कुल कित्ता 2 रकबा 0.4208 हैक्टैयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त करवाये की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. से एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम सियाणा प. ह. फलाशिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 870/1, 872/2 कुल कित्ता 2 रकबा 0.4208 हैक्टैयर की पडोसियान की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना देन तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शोध प्रस्तुत कर आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>

डा
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)